भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3742**
**(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947(शक) को दिया जाना है)**
**करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहन**

3742. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:
श्री इटेला राजेंदरः
श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित कर रही है और "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" की दिशा में कदम उठा रही है तथा उन करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन हेतु अद्यतन विवरणी सुविधा भी शुरू की है जो अपनी सही आय की सूचना देने से चूक गए थे और करदाताओं में सरकार का विश्वास सही सिद्ध हुआ;
(ख) यदि हां, तो उन करदाताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अतिरिक्त कर का भुगतान करके स्वेच्छा से अपनी आय को अद्यतन किया है और क्या किसी मूल्यांकन वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए समय-सीमा को दो वर्ष की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर चार वर्ष करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) जी हां, वित्त अधिनियम, 2022 के तहत, सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 में उप-धारा (8क) को अंतः स्थापित करते हुए अद्यतित विवरणी का प्रावधान शुरू किया है ताकि स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित किया जा सके और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा करदाताओं ने भी सरकार की पहल में विश्वास दिखाया है, जहां बड़ी संख्या में ऐसे करदाताओं ने अद्यतित विवरणियां रिटर्न दाखिल की हैं जो अपनी सही आय की सूचना देने से चूक गए थे।

(ख) निर्धारण वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2024 तक) और निर्धारण वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (28 फरवरी 2025 तक) के लिए प्रस्तुत अद्यतन ई-रिटर्न की कुल संख्या निम्नानुसार है:

| **अद्यतित ई-रिटर्न का सारांश** | | अद्यतित ई-रिटर्न की कुल संख्या | धारा 140ख के तहत भुगतान किया गया कुल कर (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|---|
| क्रम# | निर्धारण वर्ष | यूएनआईक्यू पैन्स | कर_140ख_एएमटी |
| 1 | निर्धारण वर्ष 2021-22 | 17,24,498 | 1,799.76 |
| 2 | निर्धारण वर्ष 2022-23 | 40,07,494 | 3,940.14 |
| 3 | निर्धारण वर्ष 2023-24 | 29,79,444 | 2,946.90 |
| 4 | निर्धारण वर्ष 2024-25 | 4,64,817 | 431.20 |
| नोट : निर्धारण वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2024 तक) और निर्धारण वर्ष 2022-23 से निर्धारण वर्ष 2024-25 (28 फरवरी 2025 तक) के नवीनतम अद्यतित ई-रिटर्न को ध्यान में रखा गया है। | | | |

(ग) वित्त विधेयक, 2025 के तहत, सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(8क) में संशोधन का प्रस्ताव किया है, ताकि करदाता अतिरिक्त आयकर का भुगतान करके प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष से 4 वर्ष तक अद्यतित विवरणियां दाखिल कर सकें। इससे पहले, करदाता प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष से 2 वर्ष तक अद्यतित विवरणियां दाखिल कर सकते थे।

*****